ग्राम पंचायत रछियालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रछियालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रोशन लाल	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमती निशा देवी	23.1.16 से 31.3.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत रछियालू के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	7	खाता–ख में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करने बारे	0.32
2	9	अनुदान का उपयोग न करने बारे	5.70
3	10	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	4.65

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत रछियालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी

द्वारा दिनांक 25.10.16 से 7.11.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 3/15 व 4/15 तथा 11/13, 8/14 व 5/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत रछियालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183 दिनांक 7.11.16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रछियालू से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत रछियालू द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत रछियालू के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	133761	184778	318539	165741	152798
2014–15	152798	230697	383495	197406	186089
2015–16	186089	113168	299257	189036	110221

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत रछियालू के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	202842	2174683	2377525	2261216	116309
2014–15	116309	1931099	2047408	1736796	310612
2015–16	310612	1346657	1657269	1086791	570478
			स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)		**₹680699**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि	बैंक खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	सभा निधि I	2004001649	KCCB Rait	105182
2	सभा निधि II	20147047012	KCCB Rajol	5039
3	SCSP	50051512268	-do-	3134
4	13rd Finance	50051534666	KCCB Rait	390097
5	3rd R.Rim	50051521396	-do-	21692
6	SDP	50059260287	KCCB Rajol	44082
7	NRHM	50051511796	KCCB Rajol	11219
8	IAY	50051512280	-do-	12710
9	MP LAD	50059668626	-do-	377
10	13F (ZP)	50051512199	-do-	18535
11	AAY	50051512326	-do-	450
12	VMJS	50051512393	-do-	28512
13	VKVNY	50051512439	-do-	303
14	TSC	50051512406	-do-	39367
15	Manrega	20147003607	-do-	Nil
		कुल		₹680699

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच

अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 खाता "ख" में अर्जित ₹0.32 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

	अवधि			
खाता संख्या	2013–14	2014–15	2015–16	कुल ब्याज (₹)
50051512268	2117	117	122	2356
50051534666	1995	2973	1969	6937
50051521396	465	382	1253	2100
50059260287	–	648	1099	1747
50051511796	126	32	411	569
50051512280	1225	1023	495	2743
50059668626		326	51	377
50051512199	44	458	896	1398
50051512326	44	182	40	266
50051512393	2722	269	876	3867
50051512439	187	42	12	241
50051512406	431	878	3677	4986
20147003607	4355	93	–	4448
जोड़	**13711**	**7423**	**10901**	**32035**

8 नियमों के विरूद्ध पन्द्रह बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा

करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा–4 के अनुसार पन्द्रह बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन तेरह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹5.70 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹570478 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.65 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹465797 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹13.50 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹13.50 लाख का व्यय बिना सहभागी

समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध निर्माण कार्यों को बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट करते हुए तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य का निष्पादन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

12 ₹1400 की वसूली बारेः–

कार्य का नामः– समुदायक भवन रछियालू

निधिः– VKVNY

अनुमानित राशिः– ₹150000

वाउचर संख्या 47 दिनांक 25.9.13 के अन्तर्गत मैसर्ज भूपिन्द्र एण्ड सन्ज को उपरोक्त कार्य के लिए 7000 ईटें का क्रय ₹7 प्रति कुल ₹49000 में किया गया। अभिलेख की जाँच मे पाया गया कि MB No. EE/RDD/D/sala 2771 Page no. 74 के अनुसार उक्त कार्य के लिए ईटों की मात्रा 6800 दर्शाई गई है। इस प्रकार 200 ईटों का भुगतान ₹7 की दर से ₹1400 का अधिक किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 63/2016–खण्ड–1–1737–1740 दिनाँकः 23.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत रछियालू, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत रछियालू विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सामान्य	13/8.5.13	श्री गुल्जार सिंह द्वारा रेत, बजरी की आपूर्ति का भुगतान	87000
2	सामान्य SCSP	65/12.11.13	श्री सुरजीत कुमार द्वारा आपूर्ति किए गए रेत, बजरी, पत्थर आदि का भुगतान	81381
3	सामान्य	66/12.11.13	मै0 हरी बैल्डिंग वकर्स सनौरा द्वारा ग्रिल आदि की आपूर्ति का भुगतान	18124
4	सामान्य	69/21.11.13	मै0 उत्तम चन्द एण्ड को द्वारा सरिया आपूर्ति का भुगतान	16997
5	सामान्य	39/10.10.14	मै0 सूर्या शक्ति इनर्जी शिष्टम द्वारा 5 सोलर लाईट की आपूर्ति का भुगतान	95585
6	मनरेगा	70/26.11.13	श्री गुलजारी सिंह द्वारा रेत, बजरी, शटरिंग आदि की सप्लाई का भुगतान	73000
7	मनरेगा	34/25.8.15	श्री सुरजीत कुमार द्वारा रेत, बजरी की आपूर्ति का भुगतान	17700
8	मनरेगा	18/28.8.14	श्री सुरजीत कुमार द्वारा रेत, बजरी की आपूर्ति का भुगतान	10300
9	मनरेगा	19/28.8.14	–यथोपरि–	12660
10	मनरेगा	20/28.8.14	–यथोपरि–	13620
11	मनरेगा	22/28.8.14	श्री सुरजीत कुमार द्वारा रेत व शटरिंग की आपूर्ति	24490
12	मनरेगा	4/18.5.15	–यथोपरि–	14940
			कुल	**₹465797**

सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(परिशिष्ट–3) (पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	सामान्य VMJS	निर्माण लिंक रोड रछियालु से क्योडियाँ	300000
2	सामान्य VKVNY	निर्माण समुदायिक भवन रछियालु	150000
3	सामान्य SCSP	निर्माण समुदायक भवन रछियालु	500000
4	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड जुगेड से रछियालु	400000
		कुल	₹1350000